झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचम् (बजट) सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 24 फाल्गुन, 1937 [श0] को 14 मार्च, 2016 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05	06.
उत्तर संलग्न 1199–	ग– 33	श्री शिवशंकर उराँव	पदो का सृजन	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
उत्तर संलग्न 1200–	का– 09	श्रीमती गीता कोड़ा	अष्टम सूची में शामिल करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2016
उत्तर संलग्न 1201–	ग– 03	श्री जगरनाथ महतो	दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.02.2016
1202–	का– 11	श्री कुणाल षड़ंगी	पदा0,कर्मचारियों का स्थानान्तरण।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29.02.2016
उत्तर संलग्न 1203–	ग– 35	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	वेतन का भुगतान।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
उत्तर संलग्न 1204–	ग– 26	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	वाहनों की मरम्मति।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2016
उत्तर संलग्न 1205–	मनि–02	श्री नागेन्द्र महतो	अनुग्रह राशि का भुगतान।	मंत्रिमंडल(निर्वाचन)	26.02.2016
उत्तर संलग्न 1206–	मनि–01	श्री प्रकाश राम	अनियमितता की जाँच।	मंत्रिमंडल(निर्वाचन)	29.02.2016
उत्तर संलग्न 1207–	योवि– 10	श्री ताला मराण्डी	बैंक शाखा की पूर्णस्थापना।	योजना–सह वित्त	02.03.2016
उत्तर संलग्न 1208–	ग– 41	श्री संजीव सिंह	सुरक्षा ऐजेसिंयों के शस्त्रों की जाँच।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
उत्तर संलग्न 1209–	म0– 02	श्री बिरंची नारायण	दर्ज वादों का निष्पादन।	मंत्रिमंडल सचि0 एवं निगरानी	15.02.2016

01.	02.	03.	04.	05.	06
1210– ग–	44	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	रिमांड होम को चालू कराना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2016
1211– ग–	27	श्री राजकुमार यादव	कैदियों को रिहा करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2016
1212– ग–	43	श्री लक्ष्मण टुडू	वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2016
1213– ग–	40	श्रीमती निर्मला देवी	सुरक्षा मुहैया करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
1214– ग–	39	श्री मनोज कुमार यादव	उप कारा के आवासीय भवन का निर्माण।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
1215– ग–	23	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	23.02.2016
1216–वाणि–	02	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	चेकपोस्ट की स्थापना।	वाणिज्यकर	17.02.2016
1217– ग–	36	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	पदाधिकारियों की नियुक्ति।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.02.2016
1218– का–	16	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	भाट जाति को पिछड़ी जति में शामिल करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29.02.2016
1219– का–	18	श्री आलमगीर आलम	परीक्षा का संचालन।	वाणिज्यकर	02.03.2016
1220– योवि–	05	श्री योगेश्वर महतो	योजनानुरूप बजट का निर्धारण।	योजना–सह–वित्त	15.02.2016
1221– का–	17	श्री अनन्त कुमार ओझा	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29.02.2016
1222– वाणि–	04	श्री कुणाल षड़ंगी	चेकपोस्ट में कर वसूली की व्यवस्था।	वाणिज्यकर	29.02.2016
1223– का–	14	श्री प्रकाश राम	उग्र सीमा में छूट प्रदान करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29.02.2016
1224– ग–	24	श्री अरूप चटर्जी	नियुक्ति तथा मुआवजा का भुगतान।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2016
1225– ग–	34	श्रीमती निर्मला देवी	झूठे मुकदमों की वापसी।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
1226– वाणि–	01	श्री जगरनाथ महतो	वाणिज्यकर कार्यालय खोलना।	वाणिज्यकर	10.02.2016
1227– ग–	42	श्री योगेन्द्र प्रसाद	थाना भवन का निर्माण।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2016
1228– ग–	45	डॉ0 इरफान अंसारी	मुआवजे का भुगतान।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	03.03.2016
1229–योवि–	06	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	निर्धारित सीमा में सेवा प्रदान करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17.02.2016
1230– ग–	30	श्रीमती जोबा मंझी	सम्मान राशि में वृद्धि।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
1231– ग–	37	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	आपदा राहत राशि का भुगतान।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016

(कृ0 पृ0 उ0

01.	02.	03.	04.	05.	06
उत्तर मुद्रित उत्तर संलग्न 1232— का—	12	श्री विकास कुमार मुण्डा	आरक्षण नीति को नौवीं अनुसूची में डालना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29.02.2016
1233— ग—	31	श्री अमित कुमार	अग्निशमन केन्द्र की स्थापना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
उत्तर मुद्रित उत्तर संलग्न 1234— का—	08	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	आरक्षण का लाभ देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17.02.2016
1235— वाणि—	09	श्री सुखदेव भगत	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	वाणिज्यकर	29.02.2016
उत्तर संलग्न 1236— ग—	32	श्री शिवशंकर उराँव	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016
उत्तर मुद्रित 1237 का—	06	श्रीमती विमला प्रधान	दिव्यांगों को आरक्षण प्रतिशत बढ़ाना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	15.02.2016
उत्तर संलग्न 1238— ग—	38	श्री सुखदेव भगत	आपदाजनित मौतों से निजात।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2016

राँची,
दिनांक— 14 मार्च, 2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या—झा0वि0स0—03/2015—2183/वि0स0, रांची, दिनांक— 11.3.16

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/16
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या—झा0वि0स0—03/2015—2183/वि0स0, रांची, दिनांक— 11.3.16

प्रतिः— मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/16
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या—झा0वि0स0—03/2015—2183/वि0स0, रांची, दिनांक— 11.3.16

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/16
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

सुभाष/—

(1199)

श्री शिव शंकर उराँव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बिहार प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1957, के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित "झारखण्ड राज्य प्रोबेशन सेवा" सक्रिय है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कारा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत "झारखण्ड राज्य प्रोबेशन सेवा" के तहत प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक इत्यादि पदों के सृजन के प्रस्ताव को गृह विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है ;	अस्वीकारात्मक। कारा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कारा निरीक्षणालय के अधीन प्रोबेशन कार्यो के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड प्रोबेशन सेवा संवर्ग में प्रोबेशन मुख्यालय और क्षेत्रीय स्थापना हेतु संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी आदि के पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष भेजा गया। प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक–08.06.2015 को सम्पन्न बैठक में i) विषयांकित पदों के सृजन के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है। ii) कारा एवं प्रोबेशन सेवा के Common Cadre पर विचार करने का निदेश दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पदों के सृजन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक–08.06.2015 को सम्पन्न बैठक में रामगढ़ जिला के लिए प्रोबेशन पदाधिकारी का 01 पद सृजित करने का निदेश दिया जिसके आलोक में विभागीय पत्र सं०–1233, दिनांक–02.03.2016 के द्वारा रामगढ़ जिला के लिए प्रोबेशन पदाधिकारी का 01 पद सृजित कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–07/2016 1430/ राँची, दिनांक– 11/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1791, दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(1200)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–का–09 का उत्तर

क्रम स.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत् गठित कोठारी आयोग की सिफारिश के आलोक में शिक्षा एकीकृत बिहार के पत्रांक 2/प० 2301–69 शि० 3415 दिनांक 7.7.1993 को निर्गत परिपत्र के अनुसार मुंडारी, हो, उराँव तथा संथाली जनजाति भाषाओं को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है;	अस्वीकारात्मक। एकीकृत बिहार राज्य में मात्र उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 29 (1) उपबंधानुसार एकीकृत बिहार सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में उस क्षेत्र में जनजाति भाषा विशेष का प्रभुत्व या प्रधानता है, को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है?	अस्वीकारात्मक। झारखंड गजट के आसाधारण अंक सं. 778, दि. 25.11.2011 द्वारा झारखंड राज्य में संथाली, मुंडारी, हो एवं उराँव/कुडुख भाषा सहित बंगला, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त भाषाओं को आयुक्त सह सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार राँची के पत्रांक 129 दिनांक 18.09.2003 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार को अष्टम अनुसूची में शामिल करने के लिये सिफारिश किया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित भाषाओं को सिफारिश के आलोक में अष्टम सुची में शीघ्र ही शामिल कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	संथाली भाषा पूर्व से ही अष्टम अनुसूची में शामिल है। इस सूची में शामिल की जानेवाली केन्द्र सरकार की प्रस्तावित 38 भाषाओं में मुंडारी, हो एवं कुडुख/उराँव भी प्रस्तावित है। इस पर अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है।

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक राजभाषा/संस०–11/2016 रा० ...61...../राँची, दिनांक 10 मार्च, 2016

प्रति, उपसचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 1373 वि.स., दिनांक–22.02.2016 के आलोक में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/3/2016

(चन्द्रभूषण प्रसाद)
सरकार के उपसचिव

(1201)

श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत भेन्डरा जलेश्वरी मेला वर्ष 1932 से लग रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इस मेला में विभिन्न प्रकार के दुकान एवं विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होता है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि दिनांक–22.01.2016 को नावाडीह पुलिस द्वारा बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश से लाठी चलाया गया एवं मेला में भगदड़ मचाया गया, जिससे आमजनों एवं दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिस द्वारा लाठी नही चलायी गयी है, और न ही अवांछनीय तत्वों द्वारा अप्रिय घटना घटित होने संबंधी बात प्रकाश में आयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–04/2016.1294/ राँची, दिनांक–11/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–82, दिनांक–05.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(1203)

श्री जयप्रकाश सिंह भोगता, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड ए०टी०एस० गठन के उपरांत जिन पदाधिकारियों को जिलाबल से प्रतिनियुक्त की गई है, जिसके पु०अ०नि० सुरेश कुमार मंडल, पु०अ०नि० संतोष कुमार एवं पु०अ०नि० शिवनारायण किसान को ए०टी०एस० में प्रतिनियुक्ति के उपरांत अब तक वेतन नहीं दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन पदाधिकारियों / कर्मियों को आवासन की उचित व्यवस्था नहीं की गई है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड ए०टी०एस० के पदाधिकारियों को वेतन भुगतान एवं आवास की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिस जिला बल से स्थानांतरित होकर पदाधिकारी आतंकवाद निरोधी दस्ता में कार्यरत है, उनके वेतन का भुगतान अगले आदेश तक उसी जिला से किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15 / वि०स०–04 / 2016 1475 / राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1793, दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(1204)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय स० वि० स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–26 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिले में पाँच एंटी लैण्ड माईन्स वाहन है जिनका समुचित उपयोग सुरक्षा बलों द्वारा नहीं किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला में कुल 06 एंटी लैण्ड माईन्स वाहन उपलब्ध है। उक्त वाहनों में से 05 वाहनों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा रहा है एवं 01 वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मरम्मति योग्य नहीं है।
2	क्या बात सही है, कि उपर्युक्त वाहनों के समुचित रख रखाव नहीं होने के कारण उन्हें क्षति पहुँच रही है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाँच बेकार पड़े लैण्ड माईन्स वाहन को दुरूस्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कण्डिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स० / 1004 / 2016– 1333 / राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1370 / वि०स०, दिनांक–22.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

1205

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग,

सेक्टर-२, धुर्वा, राँची।

दिनांक 14-03-2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या मनि-२ का उत्तर

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री नागेन्द्र महतो,	श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी
स0वि0स0	विभागीय प्रभारी मंत्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले के विधानसभा क्षेत्र बगोदर के ग्राम कोल्हावरीय, नवाडीह निवासी स्व0 भाकुर कोल्ह, विट नं0 - 6/9 बगोदर थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत् थे, को विधानसभा चुनाव 2014 में तृतीय मतदान पदाधिकारी (पिन 341942966) के रूप में चुनाव ड्यूटी दी गई थी ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-44 दिनांक-25.01.2016 के अनुसार स्व0 भाकुर कोल्ह, अंचल कार्यालय बगोदर में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे, न कि विट नं0-6/9 बगोदर थाना में चौकीदार के पद पर। जहाँ तक विधानसभा चुनाव 2014 में स्व0 भाकुर कोल्ह को चुनाव ड्यूटी देने का प्रश्न है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह ने अपने उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्व0 कोल्ह को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया था, किन्तु डिस्पेच सेन्टर में दिनांक 12.12.2014 को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर सुरक्षित कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक 12.12.2014 को प्रात: 6:00 बजे स्व0 भाकुर कोल्ह सामग्री कोष्ठांग गिरिडीह महाविद्यालय में पार्टी सं0 3270353 के पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी के साथ उपस्थिति दर्ज कर चुनाव कार्य में सहयोग किया ?	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-44 दिनांक-25.01.2016 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि कम्प्यूटर कोषांग द्वारा कर्मियों के डाटा संधारण के क्रम में स्व0 कोल्ह का नाम भूलवश प्रविष्ट किया गया था। स्व0 कोल्ह को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया था, किन्तु डिस्पेच सेन्टर में दिनांक 12.12.2014 को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर सुरक्षित कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह के उक्त पत्र के अनुसार स्व0 कोल्ह के द्वारा

		चुनाव कार्य में सहयोग नहीं किया गया।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित सामग्री कोष्ठांग में ठंड लगने से दिनांक 13.12.2014 को भाकुर कोल्ह का निधान हो गया और आज तक स्व0 भाकुर कोल्ह के पत्नी मुरती देवी को अनुग्रह राशि नहीं मिल पायी है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह आदेश पत्रक के अनुसार स्व0 कोल्ह को डिस्पेच सेन्टर गिरिडीह महाविद्यालय, गिरिडीह में दिनांक-12.12.2014 को चुनाव कार्य से मुक्त करने के उपरांत अपने घर जाने के क्रम में थाना-डुमरी में पहुचने के बाद उनकी मृत्यु दूसरे दिन यानि दिनांक-13.12.2014 को ठंड लगने से हो गई। स्व0 भाकुर कोल्ह के पत्नी मुरती देवी को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत नहीं की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-3 में वर्णित मुरती देवी को तत्काल अनुग्रह राशि देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन नकारात्मक होने के कारण स्व0 कोल्ह के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनकी मृत्यु डुमरी थाना में ड्यूटी के दौरान नहीं हुई है और न ही मतदान केन्द्र या इसके आसपास। तद्नुसार उनकी अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

(महादेव धान)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-437 राँची/दिनांक.....10...../03/2016

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-1802/वि0स0 दिनांक-29/02/2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(महादेव धान)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
संयुक्त सचिव

(1206)

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
सेक्टर-2, धुर्वा, राँची

दिनांक-14/03/2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या मनि-1 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रकाश राम,
स0वि0स0

उत्तरदाता
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी
विभागीय प्रभारी मंत्री

क्रं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्री अरूण प्रकाश सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी दिनांक-22/11/2000 से नियम विरूद्ध तरीके एवं उच्च पहुँच के कारण 14 वर्षो से मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग में पदस्थापित हैं;	यह सही है कि श्री अरूण प्रकाश सिंह दिनांक-22/11/2000 से मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग में पदस्थापित हैं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3/आरोप-502/2013 का0 5723 दिनांक-19/06/2013 के द्वारा श्री सिंह को मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग से स्थानांतरण करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग में पदस्थापित किया गया। लोक सभा आम चुनाव 2014 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 154/98/PLN-IV दिनांक 31/08/1998 में दिये निदेश "Prior concurrence of the Election Commission of India shall be obtained for any change or transfer of the incumbents in the office of the Chief Electoral Officer" के आलोक में मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के पत्रांक-1061 दिनांक-12/07/2013 द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-3/आरोप-502/2013 का0 6666 दिनांक-24/07/2013 के द्वारा स्थानांतरण स्थगित करते हुए पुनः मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग में पदस्थापित किया गया।
2	क्या यह बात सही है कि श्री अरूण प्रकाश सिंह द्वारा करीब 8 वर्षो से बिना निविदा के पैसा लेनदेन के आधार पर सिर्फ नोमिनेशन (Nominate) के आधार पर एक विशेष कम्पनी M.K.S. Vendor Ranchi को देने का कार्य किया है;	अस्वीकारात्मक। M/s M.K.S. Enterprises, Patna को वर्ष 2013 से विभागीय पत्रांक-296 दिनांक-02/03/2013 द्वारा दिनांक-03/03/2013 को समाचार पत्रों के माध्यम से तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के वेबसाईट पर प्रकाशित निविदा एवं

		तदनुसार दिनांक-11/03/2013 एवं 12/03/2013 को सम्पन्न विभागीय क्रय समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में तथा पुनः विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-03/12/2015 द्वारा दिनांक-05/12/2015 को समाचार पत्रों के माध्यम से तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के वेबसाईट पर प्रकाशित निविदा एवं तदनुसार दिनांक-11/12/2015 एवं 16/12/2015 को सम्पन्न विभागीय क्रय समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में कार्य कराया गया है। उक्त दोनों प्रकाशित निविदाएं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
3	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा Tender Manage कर कार्य आवंटित किये गए हैं;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के वेबसाईट पर प्रकाशित निविदा एवं तत्पश्चात् विभागीय क्रय/निविदा समिति की अनुशंसा के आलोक में अर्थात् विहित प्रक्रिया अपनाते हुए कार्य का आवंटन किया गया है। विभाग द्वारा निर्गत समस्त निविदाएं विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं, जिनका अवलोकन किया जा सकता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को निलंबित कर इनके कार्यकाल में किए गए अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(महादेव धान) 3.16

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-436 राँची/दिनांक-10/03/2016

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-1802/वि0स0 दिनांक-29/02/2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(महादेव धान) 3.16

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव

श्री ताला मराण्डी, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या– यो0वि0–10 का उत्तर

(1207)

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बोआरीजोर प्रखण्ड के ललमटिया में यूको बैंक, इलहाबाद बैंक, को–ऑपरेटिव बैंक एवं ग्रामीण बैंक कार्यरत था ?	आंशिक स्वीकारात्मक । अग्रणी बैंक पदाधिकारी गोड्डा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार बोआरीजोर प्रखण्ड के ललमटिया में यूको बैंक, दी दुमका सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक कार्यरत था । इलाहाबाद बैंक कार्यरत नहीं था । वनांचल ग्रामीण बैंक अभी भी कार्यरत है ।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड – (1) में वर्णित ललमटिया से उक्त सभी बैंक महागामा अंचल में स्थानान्तरित कर स्थापित किया जा चुका है, जबकि बैंक द्वारा ललमटिया में ही स्थापना की अधिसूचना प्राप्त है ?	आंशिक स्वीकारात्मक । सिर्फ दो बैंक, यूको बैंक एवं दी दुमका सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक ने अपनी शाखायें कोल माईन्स राजमहल परियोजना में खदान के विस्तार होने के कारण 10 कि0मी0 से 12 कि0मी0 दूर महागामा प्रखण्ड में पदस्थापित है ।
3.	क्या यह बात सही है कि ललमटिया पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में आता है, और हजारों खताधारियों को 20–25 कि0मी0 दूर जाकर बैंकिंग का कार्य ग्रामीणों को करना पड़ता है, जिससे समय की बबार्द, आवागमन की असुविधा के साथ–साथ कई तहत के खतरों का सामना करना पड़ता है ?	आंशिक स्वीकारात्मक । ललमटिया में वनांचल ग्रामीण बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक कार्यरत है । खाता धारियों को 10–12 कि0मी0 दूर जाकर बैंकिंग का कार्य करना पड़ता है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बैंक द्वारा अधिसूचित स्थान ललमटिया में उक्त सभी बैंकों का पुनः वापसी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बैंकों की वापसी की कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए संबंधित बैंक के उच्चाधिकारियों को अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा पत्राचार किया गया है ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक:सा0वि0(प्रश्न)13 / 2016:171 / राँची, दिनांक:11.03.2016 /

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 1920 दिनांक 02.03.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/3/16
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव ।

Question 2016

1208

श्री संजीव सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–41 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के बैंकिग एवं नन–बैंकिग कम्पनियों में निजी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को रखा जाता है ;	राज्य के कुछ बैंकों एवं अधिकतर नन–बैंकिग कम्पनियों में निजी सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षाकर्मी रखे गये है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित निजी सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अस्त्र–शस्त्र का लाईसेंस की बिना जांच के सुरक्षा कर्मियों का उक्त कम्पनियों में तैनात कर दिया जाता है ;	राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबन्धक के नाम से शस्त्र रहता है, जिसका ओदशानुसार प्रतिधारण (RETAINER) सुरक्षाकर्मी को रहता है, जिसका प्रतिवर्ष नवीकरण किया जाता है। निजी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा व्यक्तिगत लाईसेन्स धारियों को रखा जाता है, विशेषकर सेवानिवृत सैनिकों एवं अर्द्धसैनिको को रखा जाता है, और इन्हीं को सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात किया जाता है। इन सुरक्षाकर्मियों द्वारा अपने शस्त्र का नवीकरण कराया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में ऐसे सभी सुरक्षा ऐजेंसियों के अस्त्र–शस्त्र की जांच स्थानीय प्रशासन से कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिस द्वारा सुरक्षाकर्मियों के उपयोग में लाये जा रहे शस्त्रों की जांच की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स०(10)–02 / 2016 1297 राँची, दिनांक– 11 /03/ 2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1369, दिनांक–22.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

(1209)

श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–म0–02 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा लिखे पत्र के बाद मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) की ओर से राज्य के सभी विभागीय सचिव, उपायुक्तों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी कर अविलम्ब अभिलेख तथा सम्पति के ब्यौरे उपलब्ध कराने की बात की गयी थी, परन्तु अबतक अनुपलब्ध है ?	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची में लंबित 20 काण्डों एवं 60 जाँचों के अग्रेतर अनुसंधान हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) के पत्रांक 237/अनु0 दिनांक 12.02.2015 एवं पत्रांक 238/अनु0 दिनांक 12.02.2015 द्वारा विभिन्न विभागों से अनुरोध किया गया। उक्त 20 काण्डों में से 15 काण्डों में तथा उक्त 60 जाँचों में से 44 जाँचों में विभिन्न विभागों से वांछित अभिलेख एवं सम्पत्ति का ब्यौरा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 05 काण्डों एवं 16 जाँचों में वांछित अभिलेख एवं सम्पत्ति का ब्यौरा प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
क्या यह बात सही है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची को करीब 62 मामलों में दस्तावेज एवं सम्पति के ब्यौरे की तलाश है ?	वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उक्त 05 काण्डों एवं 16 जाँचों के अतिरिक्त 12 अन्य काण्डों एवं 25 अन्य जाँचों में अभिलेख एवं सम्पत्ति का ब्यौरा की आवश्यकता है।
यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को वांछित दस्तावेज और ब्यौरे उपलब्ध कराने तथा उक्त मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दर्ज वादों का त्वरित निष्पादन करने का विचार रखती है ? हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	अवशेष काण्डों एवं जाँचों में वांछित दस्तावेज प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(निगरानी)

ज्ञाप संख्या:06/नि0वि0/विधानसभा–01/2016...474.../राँची, दिनांक 11/03/2016/

प्रतिलिपिः 200 प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 902 दिनांक 15.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16

(रामा शंकर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

(121)

श्री राजकुमार यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य की जेलों में आजीवन सजा पूरी कर चुके कैदियों को राज्य सरकार दिनांक–28.06.2014 तक राज्य सजा पूर्णरीक्षण बोर्ड की बैठक कर आजीवन सजा पूरी कर चुके कैदियों को जेल से रिहा करते आ रही थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य की जेलों में आजीवन सजा पूरी कर चुके कैदी अभी तक जेलों में बन्द है ;	अस्वीकारात्मक। AIR 2000 SC 986 लक्ष्मण नस्कर बनाम Union of India में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी को आजीवन कारा में संसीमित रहना परिभाषित किया गया है। प्रत्येक आजीवन कारावास के बंदी के असमय कारा मुक्ति के निर्णय हेतु राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद गठित है।
3	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय **WP (CRL) No-48/2014 Union of India V/S Sriharan @ Murugan and others** का हवाला देकर रोक लगा रखी थी, लेकिन 23.07.2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित करते हुए आजीवन सजा पूरी कर चुके कैदियों को जेल से रिहा का आदेश पारित किया है तथा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश व कर्नाटक की सरकारों ने अपने कैदियों को रिहा कर दिया है ;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **W.P. (Crl.) No-48/2014 Union of India V/S Sriharan @ Murugan & Others.** में दिनांक–23.07.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में आजीवन कारावास के बंदियों के असमय कारामुक्ति के निमित दिनांक–13.08.2015 को राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालय में झारखण्ड राज्य के **Standing Counsel , Shri Ajeet Kumar Sinha (Retire Judge)** से परामर्श प्राप्त किया गया। जिसके आलोक में असमय कारा मुक्ति हेतु बैठक को आगामी न्यायादेश तक स्थगित रखा गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के जेलों में सजा पूरी कर चुके कैदियों को रिहा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त मा० सर्वोच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ के आदेश के उपरांत राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आहूत किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–08/2016-1439/ राँची, दिनांक–11/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1372, दिनांक–22.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

(1212)

श्री लक्ष्मण टुडू, माननीय स० वि० स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–43 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी प्रखण्ड के पुराना राखा एवं स्वांशपुर में गृह विभाग द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र बन रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या बात सही है, कि राखा एवं स्वांशपुर के ग्रामीणों को उसी भू–भाग के बीच से होकर स्वर्णरेखा नदी जाने का एक मात्र रास्ता था, जहाँ ग्रामीण पूजा–पाठ एवं धार्मिक कार्य जैसे–छठ, शवदाह आदि कार्यों को सम्पन्न करते है जो कि अब चारदिवारी बनने के कारण बंद हो गया है ;	अस्वीकारात्मक। राखा एवं स्वांशपुर के ग्रामीणों को स्वर्णरेखा नदी तक जाने के लिए बगल से रास्ता उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीणों के लिए स्वर्णरेखा नदी आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मुसाबनी निर्माण योजना के तहत् 600 मीटर डायवर्सन सड़क का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स० / 1004 / 2016–1335 / राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1923 / वि०स०, दिनांक–02.03.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

(1213)

श्रीमती निर्मला देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुलिस महानिदेशक झारखण्ड, राँची ने ए०डी०जी० विशेष शाखा को समीक्षा करते हुए दिनांक–04.01.2016 को श्री योगेन्द्र साव, पूर्व कृषि मंत्री को सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ज्ञापांक संख्या–79, दिनांक–23.01.2016 के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा को सुरक्षा एवं खतरे की संभावना की रिर्पोट भेजी गयी है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व मंत्री श्री योगेन्द्र साव को खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विशेष शाखा के पत्र के आलोक में जिला सुरक्षा समिति, हजारीबाग की बैठक दिनांक–23.02.2016 को आहूत की गई। बैठक में श्री योगेन्द्र साव, पूर्व मंत्री को पूर्व में प्रदत्त एक अंगरक्षक को अनुमोदित किया गया है तथा दूसरे अंगरक्षक के अनुमोदन हेतु अनुशंसा राज्य सुरक्षा समिति, राँची को भेजने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में एवं राज्य सुरक्षा समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में सुरक्षा हेतु 02 सशस्त्र अंगरक्षक पूर्व मंत्री श्री योगेन्द्र साव को उपलब्ध कराया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स० (04)–14 / 2016 1327 राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1720, दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

1214

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स० वि० स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–39 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि निर्माणाधीन उपकारा, बरही के आवासीय परिसर हेतु नौ करोड़ इक्कीस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2014 में दी गई थी, जिसका निर्माण अबतक अधुरा है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या बात सही है कि बरही उपकारा में गैर आवासीय परिसर में निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण निर्माण कार्य लंबित है।	अस्वीकारात्मक। उपकारा, बरही के गैर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–112, दिनांक 23.06.2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। गैर आवासीय भवनों के अवशेष कार्य हेतु निविदा प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान कर बरही उपकारा के आवासीय एवं गैर आवासीय परिसर का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	1. उपकारा , बरही के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य नवम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है। 2. उपकारा, बरही के गैर आवासीय भवनों के अवशेष कार्य हेतु पुनर्निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक – 4/वि०स०(प्र०/आ०)/101/2016 1298/ राँची, दिनांक– 11/03/2016 ई0।

प्रतिलिपि – उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–1721/वि0स0, दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(1215)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अंतर्गत कांके थाना क्षेत्र में दिनांक–19.10.2015 को डी०एस०पी० मुख्या०–1, राँची एवं शहर, राँची द्वारा हथियार के साथ आठ अपराधियों को पकड़ा गया था, जिस संबंध में केस नं०–114/15 संज्ञेय धाराओं के अंतर्गत गंभीर आपराधिक मामले प्रतिवेदित किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पदाधिकारियों द्वारा कुछ अभियुक्तों को छोड़ दिया गया है ;	घटना स्थल से गिरफ्तार कर लाए गए 08 व्यक्तियों में से मात्र एक व्यक्ति के विरूद्ध कांड दर्ज किया गया था। शेष 07 व्यक्तियों को पी०आर० बॉण्ड पर अलग–अलग समय पर थाना स्तर से मुक्त किया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित डी०एस०पी० के विरूद्ध इस कृत के कारण निगरानी विभाग एवं दूसरी एजेंसी से जांच कराया गया है ;	स्वीकारात्मक। इस संबंध में प्राप्त परिवाद की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा करायी गई है, जो विभाग को प्राप्त है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुलिस विभाग के खण्ड–1 में वर्णित दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14/वि०स० (04)–01/2016-1477/ राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1412, दिनांक–23.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

चेक पोस्ट की स्थापना ।

*1216. श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता--क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बिहार की सीमा पर अवस्थित हरिहरगंज तथा झारखण्ड-छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित गोदरमाना में परिवहन विभाग का चेक पोस्ट (टैक्स नाका) स्थापित नहीं किया गया है ।

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित नहीं होने से सरकार को करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की क्षति हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित सीमाओं पर टैक्स नाका/ चेकपोस्ट स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री (1) स्वीकारात्मक है ।

'हरिहरगंज एवं 'गोदरमाना' मे चेकपोस्ट स्थापित नही किया गया है ।

राज्य में 10 स्थलों यथा-चिरकुण्डा, चौरदाहा (चौपारण), धुलियान, चासमोड़, बहरागोड़ा मेघातरी, रायडीह, मूरीसेमर, बांसजोर एवं गितिलिपी पर चेकपोस्ट स्थापित किया गया है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

कर वंचना की रोकथाम एवं राजस्व क्षति को रोकने हेतु खण्ड 1 में वर्णित सीमा यथा छत्तीसगढ़-झारखण्ड की सीमा पर 'रायडीह' (NH-78) तथा बिहार-झारखण्ड की सीमा पर 'चौरदाहा, चौपारण' एवं 'मेघातरी' (NH-31) में चेकपोस्ट कार्यरत है । साथ ही, पलामू क्षेत्र में, 'मूरीसेमर' (NH-75) में विभाग द्वारा संचालित चेकनाका कार्यरत है;

(3) सम्प्रति, सरकार द्वारा खंड-1 में वर्णित सीमाओं पर टैक्स नाका/चेकपोस्ट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

1217

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–36 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के भिन्न तरह के आपदाओं से ग्रसित है जैसे हाथियों निलगाय तथा बन्दर (हनुमान) के झुण्डों द्वारा फसल, घर की बर्बादी, आग की वजह से घर एवं फसल का जलना, बज्रपात, जहरीले सर्पदंश से मौत, पागल कुत्ता एवं सियार के काटने से मौत इत्यादि घटनाएँ घटते रहती है ;	स्वीकारात्मक । आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं यथा– चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू–स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना, कीट आक्रमण तथा शीतलहर एवं पाला के साथ राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा यथा– अल्पवृष्टि के कारण पेयजल संकट एवं वज्रपात के मामलों में राज्य आपदा मोचन निधि संबंधी मद एवं मापदण्ड के आलोक में प्रभावितों को सहाय्य राशि उपलब्ध करायी जाती है । वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिवेदनानुसार जंगली जानवर के द्वारा जान–माल, फसल, मकान, पशु, भंडारित अनाज की क्षति इत्यादि की घटनाओं के विरूद्ध मुआवजा संबंधी कार्य वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की जाती है ।
2. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला मुख्यालय में स्वतंत्र आपदा प्रबंधन विभाग/पदाधिकारी नहीं होने की वजह से क्षतिपूर्ति का आक्कलन ससमय नहीं हो पाने से प्रभावित लोगों को सरकार की सहायता मद का लाभ नहीं मिल पाता है ;	वस्तु–स्थिति यह है कि जिला स्तर पर गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गढ़वा जिला में भी क्रियाशील है, जिसके पदेन अध्यक्ष उपायुक्त होते हैं, जिनके स्तर पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से प्रभावितों का पर्यवेक्षण एवं मुआवजा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाती है । संबंधित जिला उपायुक्त से प्राप्त अधियाचना प्रस्ताव के आलोक में विभाग द्वारा ससमय राशि आवंटित की जाती है । विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु कतिपय मामलें में उपायुक्त को वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी है । इस हेतु विभाग द्वारा रू० 25.00 लाख की राशि प्रत्येक जिला को आवंटित की गयी है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा जिले में स्वतंत्र आपदा प्रबंधन विभाग खोलकर उसमें स्वतंत्र पदाधिकारी की नियुक्ति का विचार रखती है यदि, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–19/2016–321/आ०प्र०, राँची, दिनांक–11/03/16.

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप संख्या–1667, दिनांक–26.02.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य)/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

भाट जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करना ।

*1218. श्री जय प्रकाश भाई पटेल--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मंडल आयोग द्वारा प्रकाशित पिछड़ी जाति की सूची में भट्ट /भाट जाति का उल्लेख है;

(2) क्या यह बात सही है कि जाति का जातिगत कोई पेशा नहीं है, साथ ही आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में अत्यन्त पिछड़े है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मंडल आयोग के सिफारिश के आलोक में आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक न्याय दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री (1) अस्वीकारात्मक ।

(2) राज्य सरकार अवगत नहीं है ।

(3) झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-II)के क्रमांक-36 पर भाट (हिन्दू) दर्ज है । अन्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-I) के क्रमांक-88 पर भाट /राजभट (मुस्लिम) दर्ज है;

अखिल भारतीय भट्ट /ब्रह्मभट्ट महासभा, झारखण्ड राज्य धनबाद के अनुरोध पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से सलाह की गांग की गई है । वांछित सलाह अबतक प्राप्त नहीं है;

(1219)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– का–18 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि दिनांक 01.04.2005 को पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक कार्यरत सरकारी सेवकों के लिए वाणिज्य–कर पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये सीमित परीक्षा लेने हेतु वाणिज्य–कर विभाग ने 23 रिक्त पदों की सूचना पत्रांक 2296, दिनांक 29.08.2005 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को भेजा था ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि, उक्त रिक्ति के आधार पर वर्ष 2010 में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त सीमित परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या –10/2010 निर्गत किया गया ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि, उक्त विज्ञापन के आधार पर वांछित योग्यता वाले सरकारी सेवक ने अपना–अपना आवेदन पत्र 2010 में ही झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को भेजा, लेकिन उक्त परीक्षा अभी तक नहीं हुई है ?	सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 762 दिनांक 11.03.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि वाणिज्य–कर पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0 10/2010) के आयोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त परीक्षा को संचालित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब, नही तो क्यों ?	सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 762 दिनांक 11.03.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि वाणिज्य–कर पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा शीघ्र आयोजित की जायेगी। इसकी प्रारंभिक तैयारी की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक– वी॰ क॰ 01/वि॰स॰/12/2016 979 /राँची, दिनांक– 11/3/16

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1921 दिनांक 02.03.2016 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/16

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

1220

श्री योगेश्वर महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–यो0वि0–05 की उत्तर सामग्री

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में योजनाओं का चयन बजट सत्र के बाद किया जाता है;	अंशतः स्वीकारात्मक। नई योजनाओं का चयन कर Shelf of Scheme तैयार रहती है, परन्तु योजनाओं का प्राक्कलन बजट में राशि उपबंधित किए जाने के बाद तैयार किया जाता है, तथा तदोपरान्त ही प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई होती है।
2.	क्या यह बात सही है कि योजनाओं के चयन एवं निष्पादन प्रकिया में विलम्ब के कारण वर्ष के अन्त तक निविदा का निष्पादन होता है;	अंशतः स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के स्वीकृति एवं निष्पादन की प्रकिया को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना सं0–301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा सरलीकृत एवं विकेन्द्रित किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है।
3.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष के अन्दर योजनाओं का निष्पादन नहीं होने के कारण वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है;	अंशतः स्वीकारात्मक। विलम्ब से स्वीकृत होने पर प्राक्कलन के पुनरीक्षण की संभावना बनी रहती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बजट सत्र के पूर्व योजनाओं का चयन कर योजना के अनुरूप बजट का निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजनाओं की स्वीकृति की प्रकिया को सरलीकृत किया गया है तथा इसमें और सुधार लाने हेतु राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक–10/वि0स0 (4)-10/2016 32/वि0 **रॉची, दिनांक** 26/2/2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.02.16
(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
अधिसूचना

जी0एस0आर0...../भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–07, दिनांक 16 नवम्बर, 2000 द्वारा बनाई गई झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

नियमावली के तृतीय अनुसूची के मद संख्या–35 (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–4151, दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 द्वारा यथा संशोधित) में अंकित प्रावधानों को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

1. नई योजनाएँ

वैसी सभी राज्य या केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ/कार्यक्रम, जिनकी संकल्पना नय रूप से की गई हो अथवा पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किसी योजना/कार्यक्रम का भाग न हो, को नई योजना की श्रेणी में रखा जाएगा।

1.1 नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार

योजना मद में नई योजना की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाएगी, बशर्ते अपेक्षित राशि का उपबंध योजना उद्व्यय एवं बजट में किया गया हो तथा ऐसी योजना की कुल लागत राशि प्रत्यायोजित वित्तीय अधिसीमा के अन्तर्गत हो:–

क्र.सं.	योजना की लागत	स्वीकृति प्राधिकार
1.	रू0 5.00 (पाँच) करोड़ तक	विभागीय सचिव
2.	रू0 5.00 (पाँच) करोड़ से अधिक एवं 15.00 (पन्द्रह) करोड़ तक	विभागीय मंत्री
3.	रू0 15.00 (पन्द्रह) करोड़ से अधिक एवं 25.00 (पचीस) करोड़ तक	विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर योजना मंत्री।
4.	रू0 25.00 (पचीस) करोड़ से अधिक	मंत्रिपरिषद्

नोट :– कार्यपालिका नियमावली के नियम 38 (3) के अन्तर्गत वित्त विभाग आवश्यक दिशा–निदेश निर्गत कर सकेगा।

1.2 राज्य या केन्द्र प्रायोजित/चालित नई योजना/कार्यक्रम, जिसकी लागत 25.00 (पचीस) करोड़ रू0 से कम की हो, को राज्य की वार्षिक योजना में सम्मिलित किए जाने के पूर्व विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

ऐसी योजनाओं की स्वीकृति के क्रम में इनके कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जारी किये जायेंगे।

2. <u>राज्य योजना प्राधिकृत समिति</u>

2.1 25.00 (पचीस) करोड़ रू0 से अधिक लागत वाली राज्य या केन्द्र प्रायोजित/ चालित नयी योजना/कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नरूपेण गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा अनुशंसा की जायेगी :–

(i) विकास आयुक्त	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त/ अपर वित्त आयुक्त	–सदस्य
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	–सदस्य सचिव
(vi) संबंधित विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	–सदस्य
(v) संबधित विभागाध्यक्ष	–सदस्य

2.2 राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही योजना मंत्री के अनुमोदन के पश्चात निर्गत की जाएगी।

2.3 राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के पश्चात् संबंधित विभाग के द्वारा मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के कम में छाया संचिकाओं में इस आशय का संलेख एवं अन्य सभी प्रासंगिक कागजात रखते हुए संबंधित विभागों, जिसमें वित्त विभाग सम्मिलित है, का परामर्श प्राप्त कर योजना पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

3. सभी स्तर पर नई योजनाओं की स्वीकृति करते समय विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव की निम्नलिखित जिम्मेवारी होगी:–

3.1 चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त निधि कर्णाकित कर ली गयी है।

3.2 स्थल का चयन करते समय क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है।

3.3 अगर योजना निर्माण से संबंधित है तो प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

3.4 यदि योजना में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव शामिल हो तो उक्त अंश का विचारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति के द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् इन निर्णयों को समाहित कर गठित प्रस्ताव की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी।

3.5 उपर्युक्त कंडिका– (3.1) से (3.4) में विचलन की स्थिति में विभागीय सचिव कार्यपालिका नियमावली के नियम 56 के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

(31)

4. पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति

4.1 स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, मात्र वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों तथा अनुसूचित दरों में वृद्धि (निविदा के पूर्व) के कारण स्कीम की लागत में वृद्धि की स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से की जा सकेगी।

4.2 स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, जहाँ अपील इत्यादि के बाद न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप भू–अर्जन को लेकर स्कीम की लागत में वृद्धि हो रही है, उसकी स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से की जा सकेगी।

4.3 उपरोक्त कंडिका–(4.1) तथा (4.2) के मामलों को छोड़कर, अगर प्रथम पुनरीक्षण के कारण लागत वृद्धि 20% से ज्यादा एवं सन्निहित वृद्धि की राशि 2.00 (दो) करोड़ रूपये से अधिक हो, तो राज्य योजना प्राधिकृत समिति के विचारोपरांत मूल योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

4.4 यदि पुनरीक्षण के कारण लागत वृद्धि 20% से अधिक है किन्तु सन्निहित वृद्धि की राशि 2.00 (दो) करोड़ रूपये से कम हो तो विभागीय सचिव के द्वारा ही पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

4.5 द्वितीय अथवा उसके पश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के पश्चात् मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश

5.1 नई योजनाओं में सक्षम प्राधिकार के द्वारा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने के उपरांत स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत करने के पूर्व विभागीय मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

5.2 स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश विभागीय सचिव द्वारा निर्गत किया जायेगा। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विचलन होने पर इसे मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जायेगा।

6. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्र सरकार से प्राप्त होनेवाली राशि, जो पूर्व में संबंधित निकायों के खाते में सीधे हस्तान्तरित की जाती थी, को उक्त निकायों के खाते में राज्य निधि में ऐसी राशि प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर ही तत्संबंधी स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत करते हुए उपलब्ध करा दिये जाने की जवाबदेही संबंधित प्रशासी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव की होगी।

7. निगमों/निकायों को दी जानेवाली अनुदान की राशि की एकमुश्त सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के उपरांत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत विमुक्त की जानेवाली राशि का आवंटन विभागीय सचिव के स्तर से आवश्यकतानुसार विभिन्न किस्तों में जारी किया जा सकेगा।

8. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति

जिन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति अथवा समरूप समिति गठित की गई है; जैसे वित्त आयोग, BRGF, RKVY, AIBP इत्यादि; उन मामलों में योजना प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर उसे उपरोक्त उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष रखा जायेगा।

इस समिति की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा।

9. **चालू/चालू प्रकृति की योजनाएँ**

9.1 चालू योजनाओं में वैसे बड़ी योजनाएँ, जिन्हें एक वर्ष से अधिक अवधि के भीतर पूरा किया जाना हो, को भी सम्मिलित समझा जाएगा, बशर्ते योजना/कार्यक्रम निरूपण की प्रारम्भिक अवस्था में ही इसके संभावित व्यय का चरणबद्ध आकलन कर लिया गया हो। ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत किये गये मूल स्वीकृत्यादेश के अन्तर्गत विभागीय सचिव के स्तर से आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा।

9.2 वैसी सभी योजनाएँ/कार्यक्रम, जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा पूर्व के वर्ष/ वर्षों में स्वीकृत किये गये हों तथा जिनके लिए विनिर्दिष्ट पद्धति से स्वीकृति उद्व्यय एवं आवंटन निर्गत किया जा रहा हो, को चालू प्रकृति की योजनाओं की श्रेणी में समझा जाएगा।

यदि ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अथवा कार्यान्वयन निर्देशिका में कोई आमूल चूल परिवर्तन होता है तो कंडिका–1.1 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति आवश्यक होगी।

9.3 ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष (जब तक वह योजना/ कार्यक्रम लागू रहे) लिये जानेवाले कार्य चालू कार्य समझे जायेगे; यथा– मनरेगा, इन्दिरा आवास, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, छात्रवृति योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना आंदे।

9.4 **चालू प्रकृति की योजनाओं की स्वीकृति**

चालू प्रकृति की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित प्रत्येक वर्ष में संबंधित विभागीय सचिव के स्तर से रू0 5.00 (पाँच) करोड़ तक की राशि तथा रू0 5.00 (पाँच) करोड़ से अधिक राशि की विमुक्ति हेतु विभागीय मंत्री से सहमति प्राप्त करते हुए स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा। तद्नुसार बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त करने के लिए संबंधित विभागीय सचिव के स्तर से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

9.5 योजनाओं का कार्यान्वयन एवं राशि की विमुक्ति, प्रशासी विभाग द्वारा योजना के संबंध में सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशा-निर्देश के अनुसार की जायेगी।

9.6 राज्य/जिला स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के उपलब्ध बजटीय उपबंध तथा निर्गत उपावंटन के अन्तर्गत स्वीकृत की जानेवाली योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया जाता है:–

क्र0	योजना की लागत	स्वीकृति प्राधिकार
1.	रू0 1.00 करोड़ से अधिक एवं 5.00 करोड़ तक	प्रमण्डलीय आयुक्त
2.	रू0 1.00 करोड़ तक	विभागाध्यक्ष
3.	रू0 1.00 करोड़ तक	उपायुक्त

नोट:– विभागाध्यक्ष से तात्पर्य वैसे पदाधिकारी से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

(29)

10. इस विषयक मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–31/स0को0 दिनांक 18.01.2001, अधिसूचना सं0–4151 दिनांक 18.12.2001, संकल्प सं0–4152 दिनांक 18.12.2001, संकल्प संख्या–252 दिनांक 19.02.2002, पत्रांक–1132 दिनांक 31.07.2002, पत्रांक–1421 दिनांक 14.05.2004, पत्रांक–1019 दिनांक 18.09.2004 तत्काल प्रभाव से निरस्त एवं अधिसूचना ज्ञापांक–188 दिनांक 13.02.2012 तत्काल प्रभाव से विलोपित समझे जायेंगे तथापि पूर्व के निर्गत इन परिपत्रों के आलोक में स्वीकृत योजनाओं की मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसे तुरंत प्रवृत्त समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एन0 एन0 पाण्डेय) 11.3.15
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–सी0एस0 2/आर0–01/2005 301 राँची, दिनांक : 11.03.2015

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एन0 एन0 पाण्डेय) 11.3.15
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–सी0एस0 2/आर0–01/2005 301 राँची, दिनांक : 11.03.2015

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए उनकी 2000 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एन0 एन0 पाण्डेय) 11.3.15
अपर मुख्य सचिव

(122)

माननीय स0वि0स0, श्री अनन्त कुमार ओझा, द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है, कि जनगणना 2011 के सरकारी रिर्पोट के आधार पर किसान जाति के उपजाति अन्तर्गत ''हलधर चासठ जाति'' को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनका मुख्य पेशा खेती–बाड़ी, जमीन–जोत आबाद करना है,	बिहार पुर्नगठन अधिनियम–2000 की 6ठीं अनुसूची में क्रमांक 18 पर ''किसान (Kisan)'' एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम–2002 के द्वारा प्रविष्टि क्रमांक–18 के अन्त में ''नगेशिया (Nagesia)'' दर्ज है। ''हलधर चासठ जाति'' अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज नहीं है।
02.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत अंचल कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय एवं उपायुक्त कार्यालय से खण्ड (1) में उल्लिखित वर्ग के लोगों को पूर्व में अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता था, किन्तु अब निर्गत नहीं किया जा रहा है,	अस्वीकारात्मक।
03.	क्या यह बात सही है कि ''हलधर चासठ जाति'' को वर्त्तमान में अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निंर्गत नहीं करने के कारण सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है,	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम में संशोधन के पश्चात किसी जाति को राज्य की अनुसूचित जनजाति के रूप में भारत सरकार सूचीबद्ध करती है। चूंकि ''हलधर चासठ जाति'' झारखण्ड की अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है इसलिए इस समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में जाति प्रमाण निर्गत नहीं किया जा सकता है।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ''हलधर चासठ जाति को पूर्व की भांति अनुसूचित जनजाति का दर्जा के आलोक में जाति प्रमाण–पत्र निर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–25/2016 का0–2217/ रांची, दिनांक 11/3/16

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप सं0 प्र0– 1717/वि0स0, दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2016

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

1222

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– वाणि0–04 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि नव निर्मित Composite वाणिज्य–कर चेक पोस्ट (नाका) बहरागोड़ा में झारखण्ड से बाहर बंगाल एवं उड़ीसा जाने वाले वाहनों से कर की वसूली की जा रही है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। नव निर्मित Composite वाणिज्य–कर चेक–पोस्ट (नाका) बहरागोड़ा में झारखण्ड से बाहर बंगाल एवं उड़ीसा जाने वाले वाहनों से झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम एवं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कर की वसूली की जा रही है। माह फरवरी 2016 तक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत रू0 **1.25** करोड़ एवं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत रू0 **16.48** करोड़ अर्थात कुल **17.73** करोड़ रूपये की वसूली की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि NH-6 पर अवस्थित जगन्नाथपुर चेकपोस्ट पर कर की वसूली बंद कर देने के कारण अब झारखण्ड से होकर बंगाल से उड़ीसा आने–जाने वाले वाहनों से कोई कर की वसूली नहीं हो रही है, जिससे सरकार को प्रत्येक माह 2 करोड़ रू0 राजस्व की हानि है ?	NH-6 पर अवस्थित बड़शोल, जगन्नाथपुर चेकपोस्ट पर दिनांक 01.03.2016 से परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कर की वसूली की जा रही है। दिनांक 01.03.2016 से 09.03.2016 तक कुल **51.24** लाख कर की वसूली की जा चुकी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार NH-6 पर अवस्थित जगन्नाथपुर चेकपोस्ट मे भी कर की वसूली प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	NH-6 पर अवस्थित बड़शोल, जगन्नाथपुर चेकपोस्ट पर दिनांक 01.03.2016 से परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कर की वसूली प्रारंभ कर दी गयी है। राज्य मे वाहनो के परिचालन की सघनता एवं आधारभूत संरचना की उपलब्धता के आधार पर विभाग द्वारा 10 स्थलों यथा– चिरकुण्डा, चौरदाहा (चौपारण), धुलियान, चासमोड़, बहरागोड़ा, मेघातरी, रायडीह, मूरीसेमर, बांसजोर एवं गितिलिपी पर चेकपोस्ट कार्यरत है। सम्प्रति, बड़शोल, जगन्नाथपुर चेकपोस्ट पर झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत जाँच हेतु चेकपोस्ट प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक– वा॰कर॰/वि॰सं॰/09/2016- 978 /राँची, दिनांक– 11/3/16

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1724 दिनांक 29.02.2016 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.16

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

(1223)

श्री प्रकाश राम, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछाजानेवाला प्राप्त तारांकित प्रश्न सख्या–का0–14 की उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग में परियोजना प्रबंधक के रिक्त 30 पदों पर बहाली हेतु 2007 में JPSC द्वारा प्रकाशित आवेदन विज्ञापन संख्या–10/2007 में सैकड़ों अभ्यार्थियों के फीस की राशि विज्ञापन रद्द होने के पश्चात भी अब तक वापस नहीं किये गये है?	स्वीकारात्मक। उद्योग विभाग के अन्तर्गत परियोजना प्रबंधक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–10/2007, विभाग द्वारा अधियाचना वापस किये जाने के फलस्वरूप रद्द कर दिया गया है। आवेदकों से शुल्क स्वरूप प्राप्त राशि राज्य सरकार के खाते में आयोग द्वारा जमा कर दी गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त परीक्षा में शामिल अनेक अभ्यार्थियों की बहाली हेतु अधिकतम उम्र सीमा समाप्त हो गयी है?	आंशिक स्वीकारात्मक। परियोजना प्रबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन विज्ञापन रद्द किये जाने के कारण नहीं किया गया।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलंब अभ्यर्थी हित में उपर्युक्त परीक्षा में शामिल योग्य अभ्यार्थियों को उम्र छूट देते हुए पुनः होने वाली परीक्षा में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	झारखण्ड उद्योग सेवा नियमावली–2015 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) को मंत्रिपरषिद के विचारार्थ संलेख सहित नियमावली प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजी गयी है। नियमावली के गठन हो जाने के पश्चात् कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित मापदंडो के आलोक में उम्र छूट का प्रावधान किया जायेगा एवं अधियाचना भेजी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 543 /राँची, दिनांक 12.03.2016 /
01/विधानसभा–04–41/2016 उ0वि0

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झांखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञाप संख्या–1799 वि0स0, दिनांक–29.02.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

(1224)

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चास थाना अन्तर्गत चास गरगा पुल के पास दिनांक–30.12.2014 को श्री श्याम महोत्सव जुलूस में विभा देवी की मौत पुलिस की गोली से हुई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बोकारो जिला के चास थाना अन्तर्गत चास गरगा पुल के पास दिनांक–30.12.2014 को श्री श्याम महोत्सव जुलूस में विभा देवी की मौत हो गयी थी। पूरे घटना क्रम की जांच अनुमंडल पदाधिकारी, चास एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चास से कराई गयी। "जाँचोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, चास एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चास द्वारा समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मृतका की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई है, स्पष्ट नही हो पाया है। साथ ही इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि मृतका के अंत परीक्षण रिर्पोट में यह बात स्पष्ट हो गयी है ;	मृतका–विभा देवी के शव का अन्त्यपरीक्षण पाँच चिकित्सकों की गठित टीम द्वारा दण्डाधिकारी की उपस्थित में विडियोग्राफी के साथ किया गया। चिकित्सकों के टीम द्वारा अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन में Cause of Death कॉलम में अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "Excessive external haemorrhage due to tear and laceration of large vessels of neck and face leading to shock and cardio-resperatory failure. Possible cause of injury seems to be fire arm weapon, however following Visceras was preserved for further examination including skin from the margin of the injuries and soft blood of the injure." अंकित किया गया है। चिकित्सकों द्वारा अन्त्य परीक्षण के दौरान जप्त किये गये प्रदर्श "skin from the margin of the injuries and soft blood of the injury" की जांच प्रतिवेदन विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची से प्रतीक्षित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब मृतका के आश्रित को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है। अनुसंधान के उपरान्त ही निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स० (04)–12 / 2016 1329 / राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1371, दिनांक–22.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

(1225)

श्रीमती निर्मला देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बड़कागाँव में दिनांक–14.08.2015 को किसान अधिकार महारैली के दौरान पुलिस के द्वारा गोली चार्ज कर दिया गया था, जिसमें एक अल्पसंख्यक बुजुर्ग महिला सहित चार दलित तथा एक पत्रकार को गाली लगी थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुलिस द्वारा बड़कागाँव में दिनांक–14.08.2015 को किसान अधिकार महारैली के दौरान दण्डाधिकारी के आदेश पर सर्वप्रथम वाटर कैनन वाहन से पानी का बौछार किया गया, इसके उपरांत भीड़ को तितर–बितर करने के लिए अश्रुगैस का प्रयोग हुआ एवं भीड़ द्वारा सरकारी वाहनों को आग लगा देने के बाद अंत में भीड़ ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया तब उपस्थित दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस बल, महिला पुलिस की जीवन पर आसन्न गम्भीर खतरा, गोली एवं राईफल एवं अन्य सरकारी वाहनों, एन०टी०पी०सी० सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उग्र भीड़ को चेतावनी देने के उपरांत मात्र नियंत्रित हवाई फायरिंग किया गया था। पुलिस द्वारा किसी भी बलवाईयों एवं भू–रैयतों पर गोली नहीं चलाई गई है तथा किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी है और न ही धान रोपनी करने जा रहे भू–रैयतों पर लाठी चार्ज किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त काण्ड के पश्चात् पुलिस तथा जिला प्रशासन अपनी गलती छिपाने तथा कम्पनी को लाभ पहुँचाने के लिए बड़कागाँव थाना काण्ड संख्या–167/ 15 के तहत झुठा केस दर्ज का ग्रामीण भू–रैयतों को तरह तरह से प्रताड़ित कर तथा मारपीट कर जेल भेजा जाता रहा है ;	अस्वीकारात्मक। किसान अधिकार महारैली के आयोजन पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु कर्त्तव्यरत दण्डाधिकारी/पुलिसकर्मी और महिला पुलिस बल पर जानलेवा हमला, ईट–पत्थर तथा अवैध आग्नेयास्त्र से कई चक्र गोली लक्षित करके चलाने एवं सरकारी सम्पत्ति को जलाने के आरोप में बड़कागाँव थाना कांड–167/15, दिनांक–14.08.2015 दर्ज किया गया है, जिसमें किसी भी निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है न ही किसी को प्रताड़ित किया गया है। बल्कि इस घटना के समय की गई विडियोग्राफी के आधार पर संलिप्तता सुनिश्चित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अंचल अधिकारी, बड़कागाँव के अनुसार इस कांड के 98 प्रतिशत अभियुक्त स्थानीय भू–रैयत न होकर बाहरी लोग हैं।
3	क्या यह बात सही है कि दिनांक–18.06.2015 को स्थानीय भू–रैयतों द्वारा अपने मुआवजा तथा उचित हक अधिकार के लिए एक दिवसीय बन्द का आहवान किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि रैयतो के मांग की अनदेखी कर कम्पनी के सुरक्षा पदाधिकारी श्री चक्रपाणी घोष के द्वारा भू–रैयतो के उपर टण्डवा थाना काण्ड संख्या– 90,91,93 एवं 97/15 के तहत झूठे केस दर्ज करा दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। श्री चक्रपाणी घोष, सुरक्षा पदाधिकारी, आम्रपाली द्वारा उल्लेखित काण्डों में दो कांड 93/15 एवं 97/15 दर्ज कराया गया है। वहीं 90/15 के वादी श्री पदमनाभम, पिता–बीरभद्रम, बीजीआर कम्पनी, आम्रपाली कोल परियोजना, टण्डवा, जिला– चतरा एवं कांड सं०–91/15 के वादी श्री बिनोद साव पिता– मेवा साव, ग्राम–लेम्बुआ, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा के द्वारा दर्ज कराया गया है। सभी कांड नामजद एवं अन्य अज्ञात के विरूद्ध परियोजना में तोड़–फोड़, मार–पीट करने एवं विधि–व्यवस्था की बुरी तरह प्रभावित करने से आरोप में पंजीकृत करायें गये है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जांच कराने तथा जांचोपरान्त किसानों भू–रैयतो के उपर किए गए झूठे मुकदमें वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत सभी कांड अभी तक के अनुसंधान में सत्य पाये गये है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–16/2016-1328/ राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1795, दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

वाणिज्यकर कार्यालय खोलना ।

उत्तर मुद्रित

*1226. श्री जगरनाथ महतो--क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड मुख्यालय एक विकसित व्यापारिक स्थल है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित डुमरी से बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार की गाड़ियाँ अधिक संख्या में पास करती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड में वाणिज्य-कर कार्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री -(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड एक अल्प विकसित व्यापारिक स्थल है जहाँ वाणिज्य-कर विभाग के अंतर्गत लगभग 236 व्यवसायी निबंधित है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(3) डुमरी प्रखण्ड के निबंधित व्यवसायियों से गिरिडीह अंचल को वर्ष 2014-15 में रु० 24.81 लाख तथा वर्ष 2015-16 में अब तक रु० 19.85 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

एक वाणिज्य्-कर अंचल के गठन पर संभावित स्थापना व्यय तथा उक्त क्षेत्र के व्यवसायियों से प्राप्त नगण्य राजस्व को ध्यान में रखते हुए सम्प्रति, डुमरी प्रखण्ड में वाणिज्य-कर कार्यालय खोलना व्यवहारिक नहीं है ।

(1227)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स० वि० स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ग–42 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला के प्रखण्ड बोआरीजोर के राजाभीट्ठा में थाना स्थापित है, परन्तु थाना का अपना भवन नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या बात सही है, कि थाना डाक बंगला में चलाया जाता है, साथ ही स्थायी रूप से थाना प्रभारी पदस्थापित नहीं है, केवल डंडाधारी सिपाही के भरोसे थाना चल रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राजाभिट्ठा थाना वर्त्तमान में एक सरकारी डाक बंगला में चलाया जा रहा है। उक्त थाने में स्थायी रूप से थाना प्रभारी पदस्थापित हैं। इसके अलावे सहायक अवर निरीक्षक–02, हवलदार–02 एवं आरक्षी–02 भी राजाभिट्ठा थाना में पदस्थापित हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार थाना भवन एवं स्थायी रूप से थाना प्रभारी तथा सशस्त्र बल को पदास्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त थाने में स्थायी रूप से थाना प्रभारी का पदस्थापन है एवं इसके साथ ही 02 स0अ0नि0, 02 हवलदार एवं 02 आरक्षी भी थाने में पदस्थापित है। थाना भवन का निर्माण विधिवत योजना में सम्मलित कर आगामी वित्तीय वर्षों में कराया जायगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०/1004/2016–1334/ राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1924/वि०स०, दिनांक–02.03.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(1228)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–45 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने सुखाड़ राहत मद में केन्द्र सरकार से 2145.75 करोड़ रूपये की माँग की थी ;	केन्द्र सरकार से 2142.783 करोड़ रूपये की राशि की मांग की गई थी ।
2. क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित राशि के सापेक्ष महज 15 फीसदी (336 करोड़) राशि की मंजूरी दी गई ;	अबतक इस संबंध में विभाग को केन्द्र सरकार से सूचना वांछित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के प्रभावित किसानों को चिन्हित कर सुखाड़ से राहत दिलाने तथा उन्हें समुचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हाँ । आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा SDRF के मद एवं मापदण्ड के अनुसार निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है:– 1. कृषि इनपुट अनुदान हेतु अब तक उपायुक्त, खूँटी, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, चतरा, रामगढ़ एवं लोहरदगा को कुल– 110,77,42,163/– (एक सौ दस करोड़ सतहत्तर लाख ब्यालीस हजार एक सौ तिरसठ) रूपये मात्र की राशि आवंटित की गई है । अन्य जिलों से अधियाचना प्राप्त होते हीं शेष राशि का आवंटन दे दी जायेगी । 2. पेयजल समस्या के समाधान हेतु नगर विकास विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कुल– 86,44,04,410/– (छियासी करोड़ चौवालीस लाख चार हजार चार सौ दस) रूपये की राशि आवंटित कर दी गई है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07/गृ०का०आ०(विधायी)–25/2016–325/आ०प्र०, राँची, दिनांक–11/03/16

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–1977, दिनांक–03.03.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

निर्धारित सीमा में सेवा प्रदान करना ।

उत्तर मुक्त

*1229. श्रीमती गंगोत्री कुजूर--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल-151 सेवाओं को सेवा की गारंटी के तहत् शामिल किया गया है जिसका लाभ तय समय में नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य के लिए संबंधित विभागों एवं उनके अफसरों को वांछित सेवाओं को समय सीमा में पूरा करने की जिम्मेवारी दी गयी थी जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ''सेवा के अधिकार'' के आलोक में निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को सेवा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

अधिसूचना सं०-11086, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली के अंतर्गत 151 सेवाएँ अधिसूचित की गई है, जिसका लाभ नागरिकों को ससमय मिल रहा है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-6 के अधीन ससमय सेवा से वंचित पक्ष को अपील का अधिकार है । प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के माध्यम से यह संचालित होता है । द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध दंड अधिरोपण की शक्ति प्रदत्त है ।

(3) उपर्युक्त खंडों के उत्तर से स्थिति स्वत: स्पष्ट है ।

(1230)

श्रीमती जोबा मांझी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत (कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र में) कार्यरत मानकी मुण्डा एवं डाकुवा को क्रमशः 1,500/– (एक हजार पाँच सौ) रूपये 1,000/– (एक हजार) रूपये एवं 500/–(पाँच सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि परिस्थिति में यह सम्मान राशि बहुत कम है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कोल्हान पोड़ाहाट क्षेत्र के ग्राम प्रधान यथा मानकी मुण्डा मैन्युअल मालगुजारी काटने के अलावे गाँव की विधि व्यवस्था सम्भालते है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत (कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र में) कार्यरत ग्राम प्रधान यथा–मानकी, मुण्डा एवं डाकुवा गाँव की विधि–व्यवस्था नहीं सम्भालते हैं बल्कि इनके द्वारा पुलिस संबधी कार्यो में सहयोग दिया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में मानकी, मुण्डा एवं डाकुवा का सम्मान राशि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ग्राम प्रधान यथा मानकी, मुण्डा एवं डाकुवा के सम्मान राशि में वृद्धि का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०–26/2016-1432/ राँची, दिनांक– 11/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1794, दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

1234

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–37 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने 25 (पच्चीस) लाख रू० आपदा राहत के लिए प्रत्येक जिलों को प्रदान किया है,	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि आपदा राहत राशि लाभुकों को उपायुक्त द्वारा प्रदान किया जाता है, उपायुक्त को जिला के कार्यो की जिम्मेदारी होती है, जिससे लाभुकों को समय पर राहत की राशि प्राप्त नहीं हो पाती हैं ,	विभागीय संकल्प संख्या–604, दिनांक–18.05.2015 के आलोक में विभिन्न आवंटनादेशों से विभिन्न सुसंगत शीर्षो में प्रत्येक जिला के उपायुक्त को पचीस–पचीस लाख रूपये आवंटित किया गया है । जिसके तहत भारत सरकार अंतर्गत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (कतिपय मामलों को छोड़कर) से प्रभावितों को तत्काल राहत पहुँचाने हेतु उपायुक्त अपने स्तर से आवंटन देने में स्वयं सक्षम हैं । चूंकि उपायुक्त, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उपायुक्त को राशि आवंटित की जाती है एवं उनके द्वारा लाभुकों को राहत देने में तत्परता बरती जाती है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधान सभावर आपदा राहत राशि प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07 / गृ०का०आ०(विधायी)–20 / 2016–320 / आ०प्र०, राँची, दिनांक–11/03/16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–1722, दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

आरक्षण नीति को 9वीं अनुसूची में डालना ।

उत्तर मुण्डा

*1232. श्री विकास कुमार मुण्डा--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा 29 नवम्बर, 2001 को झारखण्ड गजट प्रकाशित किया गया था जिसमें आरक्षण की सीमा 73% (अनुसूचित जाति- 14% अनुसूचित जनजाति-32% अत्यंत पिछड़ा वर्ग-18% एवं पिछड़ा वर्ग-09%) किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा झारखण्ड में आरक्षण की सीमा को 50% तक सीमित रखने का निर्देश दिया था;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आरक्षण नीति को (9)वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) उत्तर स्वीकारात्मक ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक ।

वाद सं०-डब्लू०पी०(पी०आई०एल०) 3696/2002-रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं डब्लू०पी०(पी०आई०एल०) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया ।

(3) संविधान के अनुच्छेद 31(ख) के अन्तर्गत (9)वीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

(1233)

श्री अमित कुमार, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला मुख्यालय से सिल्ली, सोनाहातु एवं राहे प्रखण्डों की दूरी 60 कि०मी० है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों के गाँवों में आगजनी की घटना होने पर अग्निशमन गाड़ी पहुँचने से पहले परिसम्पति जल कर राख हो जाते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होने पर अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर समय पर पहुँचने का यथा संभव प्रयास करता है, किन्तु दूरी के अनुसार अग्निशमन दस्ते के घटनास्थल पर पहुँचने में समय लग जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में सिल्ली प्रखण्ड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमण्डल स्तर पर अग्निशामालय खोले जाने पर कार्रवाई की जा रही है। अनुमण्डल स्तर पर स्वीकृत अग्निशामालय क्रियाशील होने के पश्चात प्रखण्ड स्तर पर अग्निशामालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / वि०स०–04–02 / 2016 / 1330 / राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1792, दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

आरक्षण का लाभ देना ।

*1234. श्री निर्भय कुमार शाहाबादी--क्या मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सेना के शौर्ट सर्विस से सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मियों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होनेवाली नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नही दी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित कर्मियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पारिवारिक दायित्व का भार अत्यधिक हो जाती है जिसके कारण उनका पारिवारिक जीवन काफी असंतुलित हो जाता है;

(3) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड, बिहार, मेघालय एवं केरला आदि को छोड़ अन्य सभी राज्यों में खण्ड-01 में वर्णित कर्मियों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-01 में वर्णित कर्मियों का अन्य राज्यों की तर्ज पर उक्त पदों पर आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री --(1) स्वीकारात्मक ।

भूतपूर्व सैनिकों को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक अनुमान्य है;

(2) इस विभाग से संबंधित नहीं है ।

(3) स्वीकारत्मक ।

कतिपय राज्यों में सेना के शौर्ट सर्विस से सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मियों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होनेवाली नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाता है ।

(4) इस संबंध में हिमाचल, कर्नाटक एवं पंजाब राज्य से पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की जा रही है । प्राप्त जानकारी के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर विचार किया जा सकता है ।

1235

श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– योवि–09 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में वाणिज्य–कर विभाग में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के कुल सृजित 379 पद मे से 161 पद रिक्त पड़े हैं ?	उत्तर सैद्धांतिक तौर पर स्वीकारात्मक है। सृजित एवं रिक्त पदों में तथ्यात्मक भिन्नता है। वाणिज्य–कर विभाग मे वाणिज्य–कर पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारियों की कुल सृजित पद 241 के विरूद्ध 135 रिक्तियाँ हैं जबकि कर्मचारियों (लिपिक, चालक एवं पदचर) के कुल सृजित पद 887 के विरूद्ध 513 पद रिक्त हैं। इस प्रकार वाणिज्य–कर विभाग में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 648 पद रिक्त हैं। वाणिज्य–कर पदाधिकारियों के 135 रिक्तियों के विरूद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 607 दिनांक 29.02.2016 द्वारा पाँचवी संयुक्त परीक्षा में 36 सफल घोषित उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसके नियुक्त हो जाने पर वाणिज्य–कर पदाधिकारी के कुल 99 पद रिक्त रह जायेगें।
2	क्या यह बात सही है, कि विभाग में इतनी बड़ी संख्या में पदो के रिक्त रहने से राजस्व संग्रहण का काम प्रभावित हो रहा है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। बड़ी संख्या में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त रहने से राजस्व संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है /पड़ा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	विभाग द्वारा 130 वाणिज्य–कर पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है जबकि 5 पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसी बीच, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 607 दिनांक 29.02.2016 द्वारा 5वीं संयुक्त परीक्षा में सफल घोषित किये गये उम्मीदवारों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई है जिस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। वाणिज्य–कर विभाग में अराजपत्रित कर्मियों की नियुक्ति हेतु नियुक्ति नियमावली गठन/निर्गमन प्रक्रियाधीन है। संबंधित नियमावली के अधिसूचित होते ही तत्संबंधी अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग, राँची को प्रेषित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक– का०कर०1/वि०मं०/11/2016 933 /राँची, दिनांक– 9/3/16

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1796 दिनांक 29.02.2016 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.16

वाणिज्य–कर अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
झारखण्ड, राँची।

(1236)

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – ग–32 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि महालेखाकार की ऑडिट में पुलिस मुख्यालय द्वारा सुरक्षा कर्मियों के बीमा प्रीमियम पर अधिक राशि खर्च करने के संबंध में सवाल उठाए गए है, जिसमें सरकार को दो करोड़ रूपये के राजस्व ही हानि हुई है–	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में महालेखाकार द्वारा पुलिस मुख्यालय का अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है। अंकेक्षण दल के द्वारा बीमा प्रीमियम के संबंध में पृच्छा की गई है कि SRE (Security Related Expenditures) के अंतर्गत बीमा की राशि का भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा से अधिक व्यय क्यों किया गया है? इस सदंर्भ में महालेखाकार की पृच्छा के संदर्भ में विभागीय प्रतिवेदन दिया जायगा। ज्ञातव्य है कि अभी लेखा परीक्षण पूर्ण नहीं हुआ है एवं महालेखाकार के अंतिम मंतव्य से विभाग अवगत नहीं है। यह विषय उग्रवाद क्षेत्र में किये जा रहे खर्च एवं उसमें भारत सरकार से की जाने वाले प्रतिपूर्ति से संबंधित है। यह राजस्व की हानि नहीं है।
2	क्या बात सही है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तीय नियमों की लगातार अनदेखी के बावजूद सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के कदम नही उठाये गये है –	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकातात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों,	कंडिका 01 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स०–1002 / 2016 1336 / राँची, दिनांक– 12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2124, दिनांक–09.03.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिव्यांगों को आरक्षण प्रतिशत बढ़ाना ।

उत्तर अपेक्षित

*1237. श्रीमती विमला प्रधान--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में दिव्यांगों (विकलांगों) का नियोजन में 3% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में दिव्यांगता (विकलांगता) की दर बढ़ कर 5% हो गयी है जिसके कारण सभी दिव्यागों को नियोजन में अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दिव्यागों (विकलांगों) को नियोजन से 5% पाँच प्रतिशत आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधि नियम 1995 (केन्द्रीय अधिनियम) के आलोक में निःशक्तजनों के लिए रिक्तियों में से 3% पद क्षैतिज रूप से विनियमन हेतु आरक्षित किया गया है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका-1 एवं 2 में दिए गए उत्तर के आलोक में कंडिका-3 के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है ।

(1238)

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–38 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में चालू वित्त वर्ष में आपदा जनित मौतों में 144 जानों की हानि बज्रपात के कारण हुई है,	स्वीकारात्मक । वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य में वज्रपात से कुल–148 लोगों की अबतक मृत्यु हुई है ।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में सुखा के कारण 11 लोगों की मृत्यु हुई है ,	अस्वीकारात्मक । राज्य में सूखा के कारण मृत्यु होने का मामला प्रकाश में नहीं आया है ।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बज्रपात एवं सूखा से होने वाली जान हानि को रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वज्रपात से होनेवाले क्षति को कम करने के लिए निम्नांकित उपाय किये गये हैं:– (i) वज्रपात से बचाव हेतु जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। (ii) बी०आई०टी० मेसरा, राँची की मदद से वज्रपात के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हितिकरण । (iii) राज्य के सभी सरकारी/गैर सरकारी G+2 एवं उससे अधिक ऊपर के भवनों में नई भवन निर्माण नीति 2016 के अनुसार तड़ित चालक के अधिष्ठापन की अनिवार्यता । सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु सभी संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है । आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा कृषि इनपुट अनुदान हेतु कुल–110,77,42,163/– (एक सौ दस करोड़ सतहत्तर लाख ब्यालीस हजार एक सौ तिरसठ) रूपये मात्र का आवंटन अबतक दिया गया है । पेयजल समस्या के समाधान हेतु कुल–86,44,04,410/– (छियासी करोड़ चौवालीस लाख चार हजार चार सौ दस) रूपये मात्र का आवंटन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग को किया गया है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07/गृ०का०आ०(विधायी)–21/2016–327 /आ०प्र०, राँची, दिनांक–11/03/16

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–1723, दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव